(b) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of immunology, New Delhi, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(Placed in Library. *See* No. LT-6590/94).

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Rama Research Institute Bangalore, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government acceping the above Report.

(Placed in Library. *See* No. LT-6589/94).

(v) (a) Fifth Annual Report and Accounts of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore, for the year 1993-94 together with the Auditors' Reports on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(Placed in Library. See No. LT-6586/94).

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Satyendra Nath Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

Placed in Library. *See* No. LT-6592/94).

(vii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 1993-94.

(b) Annual Accounts of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 1993-94 and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepcepting the above Report.

(Placed in Library. *See* No. LT-6591/94).

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Technology Information, Forecasting and Assessment Council, New Delhi, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(Placed in Library. *See* No. LT-6593/94).

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, for the year 1993-94, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(Placed in Librarary. *See* No. LT-6808/94)

PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO MANIPUR

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ram Lal Rahi.

PROCLAMTION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO MANPUR

(SHRI RAM LAL RAHI): Madam, I lay....

श्रीमती सुषमा स्वराज : हरियाणा): उपसभापति महोदया, मुझे इस पर बोलना है । इसके बाद आप उनको रखने की इजाजत दें । हो सकता है कि मेरी बात सुनकर वह वापस ले लें ।

उपसभापति : मंत्री जी सुषमा जी कुछ आपत्ति उठा रही हैं । उस आपत्ति

को सुनने के बाद आप जो जवाब देना चाहें, दे दीजिएगा ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया गृह राज्य मंत्री जी धारा 356 के तहत जो यह उद्घोषणा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त करने के लिए सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं । महोदया आपको याद होगा कि पिछली बार सदन में जब राष्ट्रपति शासन की अवधि मणिपुर में बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था तो मैंने स्वयं अपनी पार्टी की ओर से ये आशंका जाहिर की थी कि वहां अवधि केवल इसीलिए बढ़ाई जा रही है ताकि जोड़-तोड़ करके वहां कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके और हमने यह अनुरोध भी किया था कि... (**व्यवधान**)

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam, I am on a point of order. The Paper has not yet been laid by the Minister and she has every right to present her views only when it will come for discussion... (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to listen to her first and then I will tell her... (*Interruptions*).....

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह नए रूल कैसे बन रहे हैं ? पेपर ले करने से पहले ही मुझे बोलना है ।

उपसभापति : सुषमा जी, आप आब्जेक्शन काहे का कर रही हैं ? आप पेपर टैक्निकेलिटीज पर बोल रही हैं या प्रोसीजर पर बोल रही हैं या आप किसी और विषय पर बोल रही हैं ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन्होंने जिस तरह सरकार बनाई है वहां और उसके बाद ये पेपर ले कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की अवधि को समाप्त करने के लिए, मैं इसके विरोध में बोल रही हूं । अगर इन पर गुड सेंस प्रिवेल हो गई और इन्होंने यह मन बना लिया कि यह पेपर ले न करें तो हो सकता है कि यह पेपर ले न हो । इसलिए मुझे पहले ही बोलना है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We can discuss when there is a discussion on it.. (Interruptions)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : ये डिस्कशन के लिए नहीं आएगा । मैं आपको बता दूं कि अगर तो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव होता, उस पर डिस्कशन होता तो उस पर हम अपने विचार रख सकते थे । अभी ये केवल इसे सदन के पटल पर रखकर चले जायेंगे कि हमने राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया मगर वह राष्ट्रपति शासन समाप्त क्यों किया कोई नए चुनाव कराने के लिए नहीं ।

SYED SIBTEY RAZI: Madam, I am on a point of order. She is making a statement...

(*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sushma-

जब कोई पेपर रखने पर आपत्ति उठाते हैं... (**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : वहां जोड़-तोड़ से सरकार बनी है उसका विरोध करने का अधिकार मुझे है या नहीं और यदि अधिकार है तो कब है ?

उपसभापति :

If any body objects to the laying of the Papers on the Table of the House, there are some technical grounds on which they object to it. Now, if it is a procedural matter, then you can raise it. But if it is a matter which is not either procedure or technical, then this is not the time when. I could permit you. You can ask for a Special Mention or whatever device you like, and you can raise this issue at that point of time. This is not the correct time to raise this issue. So, I will allow Shri Ral Lal Rahi.

श्री राम लाल राही : महोदया, मैं राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन दिनांक 31 दिसम्बर 1993 को मणिपुर राज्य के संबंध में

जारी की गई उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करते हुए उनके द्वारा उक्त अनुच्छेद के अधीन 13 दिसम्बर, 1994 को जारी की गई उद्घोषणा [सा०का०नि०सं० 862 (अ)] की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

(Placed in Library. *See* No. LT-6636/94).

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam, I am on point of order.

उपसभापति महोदया, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या सत्तारूढ़ दल के आंतरिक भेदों और झगड़ों का मामला संविधान का इस्तेमाल करके निराकरण के लिए किया जा सकता है जैसा कि मणिपुर में किया जा रहा है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is no point of order relating to this.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, आप मुझे यह बताइए कि हम इस पर डिसकशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं सिवाय इसके कि पेपर ले करने से पहले हम इस पर अपने व्यूज बतायें।

उपसभापति : मैं आपको बताती हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां बताइए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will tell you how you can discuss it. I will tell you what the other devices are. You can take the permission of the Chairman to raise it in a Special Mention or you can raise it in any other form which is available to you—a Resolution or a Motion against it. But this is not the forum. That is why I am not allowing you.

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, हम पेपर लेड ऑन दि टेबल के समय विरोध जता सकते हैं।...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : इसमें नहीं उठा सकते हैं।

t is not the procedure.

Shri Eduardo Faleiro.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (उत्तर प्रदेश) : वहां पर सरकार गठित हो गई तो सरकार के गठित होने के बाद यहा पर सदन में पेपर रखने का औचित्य नहीं है, पहले सस्पेंशन था। सस्पेंशन खत्म किया जाए तब उसके बाद सरकार गठित की जानी चाहिए थी। क्योंकि सरकार गठित हो गई है तो इस पेपर को यहां लेने का कोई कारण नहीं रहा। पहले यहां पर सदन में हमको सूचना देते और तब सरकार गठित करते लेकिन सरकार पहले गठित हो गई है और ये सजीव बाद में कर रहे है। सजीव असेंबली को बाद में किया जा रहा है और सरकार पहले गठित की जा रही है। ये गलती क्यों की, वे इसका एक्सप्लेनेशन दें कि ये गलती क्यों की गई है ?...(**व्यवधान**)...शपथ हो गई, सरकार बन गई, सदन सस्पेंशन में है। सदन जब तक सस्पेंशन में है तो मुझे बतायें कि ये गलती आपने क्यों की है? पहले सदन को सजीव करते, उसके बाद आप सरकार बनाते। ये गलती क्यों की?

THE DEPUTY CAAIRMAN: Mathur Saheb, I will explain to you. Any Proclamation has to be laid on the Table of the House. It was listed yesterday. Yesterday it could not be laid because you know what the situation was in the House. So, it is being laid today. So, it is in order. (*Interruptions*). Now, Shri Eduardo Faleiro. (*Interruptions*).

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो फिर गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी।...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज : गवर्नमेंट को बने हुए चार दिन हो गए।...(**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह सदन का अपमान है।...(**व्यवधान**)...यहां पर आप एप्रूवल नहीं ले रहे हैं, बता नहीं रहे है और उसके बाद कह रहे हैं कि सरकार बनी है।...(**व्यवधान**)... मंत्री महोदय बतायें कि प्रोसीजर क्या है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Papers to be laid on the Table.